रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2009/फाल्गुन 7, 1930
No. 110] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2009/PHALGUNA 7, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 128(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के परामर्श से बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 19 नवम्बर, 2008 में सा.का.नि. 798(अ), तारीख 19 नवम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप या सुझाव आंमत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 24 नवम्बर, 2008 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 45 में, "भारत में समुद्र द्वारा आयात किए गए कीटनाशियों की बाबत चेन्नई, कांडला, कोच्ची, कोलकाता, मुंबई और तूतीकोरन (एन्नोर)-" शब्दों के स्थान पर "भारत में समुद्र द्वारा आयात किए गए कीटनाशियों की बाबत-चेन्नई, कांडला, कोच्ची, कोलकाता, मोरमोगाओ, मुंबई और तूतीकोरन (एन्नोर)-" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 19-7/2006-पी.पी. I]
पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 1650, तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उनमें संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976,
(2) सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 1977,
(3) सा.का.नि. 1064(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1988,
(4) सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993,
(5) सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999,
(6) सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999,
(7) सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006 और
(8) सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवम्बर, 2006.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2009

G.S.R. 128(E).—Whereas the draft rule to further amend the Insecticides Rules, 1971 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) in consultation with the Central Insecticides Board, was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) *vide* G.S.R.798(E), dated the 19th November, 2008 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 19th November, 2008, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th November, 2008;

And whereas, no objection or suggestion was received from the public in respect of the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby makes the following rules, further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :—

1. (1) This rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2009.

 (2) This shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 45 of the Insecticides Rules, 1971 for the words "Chennai, Kandla, Kochi, Kolkata, Mumbai and Tuticorin (Ennor)-in respect of insecticides imported by sea into India", the words "Chennai, Kandla, Kochi, Kolkata, Mormugao, Mumbai and Tuticorin (Ennor)-in respect of insecticides imported by sea into India" shall be substituted.

[F. No. 19-7/2006-PP. I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, *vide* No.G.S.R. 1650, dated 19th October, 1971 and subsequently amended *vide* :—

(1) G.S.R. 474 (E), dated 24th July, 1976,

(2) G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,

(3) G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,

(4) G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,

(5) G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,

(6) G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,

(7) G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006 and

(8) G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.